14/05/22

पत्रावली आज दि राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट किशनगढ़ में पेश हुई। पक्षकारान् उप. नहीं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 13/06/22 को पेश हो।

सदस्य
लोक अदालत
किशनगढ़ (अजमेर)

सहायक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत

दि 13/06/22
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. । तलबी/जवाब/दस्तावेजात/साक्ष्य/बहस हेतु समय चाहा अतः पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ दिनांक 12/09/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

12/09/22
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी ओ. साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 14/12/22

14/12/22
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी ओ. साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 29/02/22

29/02/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी ओ. साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 29/03/23

CN 139/2019

29/03/23
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. नहीं वकील वादी को रूक-रूक कर 5.30 P.M. तक आवाज लगाई गई। वकील वादी या उनका कोई प्रतिनिधि उप. नहीं अतः वादी के वार को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023
दिनांक 10/4/23 पत्रावली आज राज्य [illegible] महोदय अजमेर के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के आयोजन के कारण नियत तिथि से पूर्व तलब कर ग्राम पंचायत टिकावली में कैम्प स्थल पर रखा जाता है। सम्बन्धित पक्षकार व अभिभाषक को सूचित किया गया। पत्रावली दिनांक 13/06/23 को कैम्प कोर्ट टिकावली में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023
दिनांक 13/06/23 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकार वादी/प्रतिवादी/उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण में पक्षकारान् को लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु प्रेरित किया गया, किन्तु पक्षकारान् में राजीनामा द्वारा सहमति नहीं हुई। अतः पत्रावली पुनः न्यायालय में कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक ..... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)